



बाबू सन्त बरखा शिवमूर्ति सिंह शिक्षण संस्थान

सण्डवा दुबान, साहबगंज, प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

पत्रांक -

दिनांक

कार्यालय आदेश

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) के पदनामित किए जाने के संबंध में।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में तथा कालेज में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु, डा० रमेश चन्द्र पाठक प्रधानाचार्य को बी०एस०एस० पैरावेटनरी कालेज का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority – FAA) तत्काल प्रभाव से पदनामित किया जाता है।
2. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत कालेज के जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer – PIO) द्वारा लिए गए निर्णय अथवा की गई कार्रवाई के विरुद्ध प्राप्त प्रथम अपीलों का विधि-सम्मत रूप से विचार एवं निस्तारण करेंगे।
3. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपीलें का निस्तारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों/विनियमों में निर्धारित प्रावधानों एवं समय-सीमा के अनुसार किया जाएगा।